

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042021-226689
CG-DL-E-19042021-226689

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1541]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 19, 2021/चैत्र 29, 1943

No.1541]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 19, 2021/CHAITRA 29, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2021

का. आ. 1658 (अ).—राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17) की धारा 2 की उप धारा 1 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की सिफारिश करने और धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के अन्तर्गत किसी निदेशक को पदच्युत करने के उद्देश्य से बैंक बोर्ड ब्यूरो, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय, को ब्यूरो के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 15/10/2021-IF-1]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2021

S.O. 1658(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 (17 of 2021), the Central Government hereby notifies Banks Board Bureau, an autonomous body of the Government of India, as the Bureau for the purpose of recommending candidates for appointment of Managing Director and Deputy Managing Directors under sub-section (1) of section 6 and for removal of a director under clause (ii) of sub-section (1) of section 11 of the said Act.

[F. No.15/10/2021-IF-1]

LALIT KUMAR, Economic Adviser